

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

<sup>1</sup>[प्ररूप 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

**02—गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद** के लिए निर्वाचन। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, घोषणा करता हूँ कि:—

श्री/श्रीमती संजीव श्याम सिंह (नाम) एच०/57 चाणक्यापुरी, पो०—रामपुर, थाना—रामपुर, जिला—गया (पता) <sup>2</sup>[जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है। उस सदन में **बिहार विधान परिषद** सदस्य (सदस्यों) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर **08.05.2017** (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान (स्थानों) को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/हो गई हैं \*\*।

स्थान:— गया

तारीख:—15.03.2017

*15/3/17*  
रिटर्निंग ऑफिसर

02—गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।  
निर्वाची पद  
02, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र